उत्तर प्रदेश शासन
रेशम विकास अनुभाग-2
संख्या-14/2020/361 /74-2-2020-09(बजट)/2019
लखनऊ : दिनांक : 31 अगस्त, 2020

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान सं0- 83 के अंतर्गत रु0 200.826 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने विषयक शासनादेश संख्या-13/2020/301/74-2-2020-09(बजट)/2019 दिनांक- 27-08-2020 के पृष्ठ-3 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित "अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखा शीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-माडल चाकी कीटपालन हेतु शहतूत उद्यान की स्थापना" के स्थान पर "अनुदान संख्या-83- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-14-केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना (राज्यांश)-42-अन्य व्यय" पढ़ा जाय। शेष यथावत रहेगा।
2- उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक: 27 अगस्त, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(नरेन्द्र सिंह पटेल)
विशेष सचिव।

संख्या -14/2000/361(1)/74-2-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, रेशम निदेशालय, उ0प्र0 गोमती नगर, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, रेशम निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
9- नियोजन अनुभाग-4
10-गार्ड फाईल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।